सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{11 आषाढ़, 1941 (श०)}}{\text{2 जुलाई, 2019 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 80

(1) शिक्षा विभाग	..	54
(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति कल्याण विभाग	..	01
(3) कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	..	11
(4) समाज कल्याण विभाग	..	10
(5) परिवहन विभाग	..	02
(6) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	02
कुल योग —		80

प्रतिनियुक्ति करना

*39. श्री (मो0) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में स्थित एल0 एन0 आर्या डिग्री कॉलेज में उर्दू लेक्चरर का एक पद विगत 5 वर्षों से रिक्त है, जिसके कारण उर्दू छात्र-छात्राओं को उर्दू में पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कॉलेज में रिक्त पद पर उर्दू लेक्चरर की प्रतिनियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नामाकरण करना

*40. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित सरकारी विद्यालयों के संचालन हेतु भूमि दान करने वाले के नाम से इन विद्यालयों के नामाकरण किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला मुख्यालय के वार्ड नं0-9 स्थित रत्नोपट्टी ठठेरी टोला के विश्वनाथ ठठेरी द्वारा एक कट्ठा जमीन 1992 ई0 में वहाँ संचालित प्राथमिक कन्या विद्यालय के लिये दान में दिये जाने के बावजूद अबतक इस विद्यालय का नामकरण भूमि दानकर्ता के नाम पर नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित विद्यालय का नाम भूमि दानकर्ता के नाम पर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*41. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड मुख्यालय से 3 कि0मी0 पर अवस्थित रेडियाँ उच्च विद्यालय 10+2 में लगभग 20 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जो स्टेडियम निर्माण हेतु मानक के अनुरूप है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रेडियाँ उच्च विद्यालय 10+2 का जमीन संबंधी प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार को भेजने के बावजूद भी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति अभीतक नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक रेडियाँ उच्च विद्यालय 10+2 में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*42. श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के शम्भूचक पंचायत में उच्च विद्यालय स्थापित नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शम्भूचक पंचायत में स्थित मध्य विद्यालय, शम्भूचक को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*43. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के चानन प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है, जबकि प्रखंड बने बीस वर्ष से अधिक हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चानन प्रखंड का कार्य किसी दूसरे प्रखंड के बाल विकास पदाधिकारी से लिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद सृजित कर पदाधिकारी की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*44. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड बसंतपुर के लकरी नबीगंज में 600 वृद्धा पेंशनधारियों को 2 साल से पेंशन नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पेंशनधारियों की बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

*45. श्री अरूण कुमार (75)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय, चिकनी, उर्दू उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होने की सारी शर्तों को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उर्दू मध्य विद्यालय, चिकनी को उर्दू उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*46. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के दयामी उत्क्रमित मध्य विद्यालय की चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उत्क्रमित मध्य विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सावधि जमा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना

*47. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत बी0 पी0 एल0 परिवार की दो कन्या संतानों के नाम से जन्म के उपरांत 2,000 रुपये का निवेश कर सावधि जमा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17 एवं 17-18 में जिला प्रोग्राम कार्यालय से बैंकों को भेजे गये कुल आवेदन-पत्रों 3,24,786 के विरुद्ध मात्र 2,45,561 ही सावधि जमा प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आवेदन के अनुरूप सावधि जमा प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने का क्या औचित्य है ?

डिग्री कॉलेज में परिवर्तित करना

*48. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के योगापट्टी प्रखंड के डुमरी पंचायत की छात्रायें डिग्री कॉलेज के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत स्थित श्री बैद्यनाथ प्रसाद (+2) उच्च विद्यालय को डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*49. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखण्ड के पंचायत कुशहर के ग्राम-माधोपुर में स्थित नव-सृजित प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर हरिजन टोला का भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद भवन निर्माण नहीं होने से बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नव-सृजित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*50. श्री अशोक कुमार सिंह (224)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखण्ड के पंचायत सलैया के ग्राम-राजा बिगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँव में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

*51. श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित हाई स्कूल, पट्टी कररिया, रामजी टोला तथा कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया, शितलपुर, मेधुआ सहित राज्य के अन्य हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से पठन-पाठन प्रभावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को कहा गया था कि पंचायतों में नव-उत्क्रमित उच्च मा0 विद्यालयों में पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा अबतक ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने का क्या औचित्य है ?

बालिका उच्च विद्यालय खोलना

*52. श्री कुमार सर्वजीत--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 मई, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''बोधगया के पूर्वी इलाके में नहीं है गर्ल्स हाई स्कूल'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखण्ड के मोराटाल एवं बकरौर पंचायत में लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए कोई बालिका उच्च विद्यालय नहीं रहने से पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों में बालिका उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा का सरकारीकरण

*53. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-करगहर, पंचायत-रीवां के ग्राम-माली में अधिक संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग निजी मदरसा में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसा में पठन-पाठन करने वाले बच्चों को सरकारी सुविधा नहीं मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक ग्राम-माली में स्थित उक्त मदरसा को सरकारीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओभर लोडेड वाहनों पर रोक लगाना

*54. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला का चाँद, चैनपुर, दुर्गावती, रामगढ़ एवं नुआँव प्रखंड उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में बड़े वाहन नियम के प्रतिकूल ओभर लोडेड चलते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सड़कों को सुरक्षित रखते हेतु ओभर लोडेड वाहनों पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*55. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अन्तर्गत म०वि०, हरिहरपुर को वर्ष 2018 में उत्क्रमित कर हाई स्कूल का दर्जा दिय गया है, जहाँ कमरों के अभाव में छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में अतिरिक्त 6 कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*56. श्री रमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्व० सत्येदव प्रसाद, सहायक शिक्षक जो देवी रूक्मणी संस्कृत प्राथमिक-सह-मध्य विद्यालय, खौली, प्रखंड-आन्दर, जिला-सीवान में नियुक्त थे, जिनका राज्य पंचायत आम निर्वाचन 2016 में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति के दौरान दिनांक 30 अप्रील, 2016 का मृत्यु हो गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षक के उत्तराधिकारियों को अभीतक अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त शिक्षक के उत्तराधिकारियों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीवनयापन भत्ता का भुगतान करना

*57. श्रीमती रंजु गीता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किसी भी कार्यरत कर्मी को निलंबित अवधि के दौरान उन्हें जीवनयापन भत्ता दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बाजपट्टी प्रखंड के मध्य विद्यालय, मधुबन गोट में कार्यरत शिक्षक योगेन्द्र कुमार को 2015 से लंबित जीवनयापन भत्ता का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपदान का लाभ देना

*58. श्री सुदामा प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की सेवा नियमावली में परिषद् के कर्मियों को उपदान (ग्रेच्युटी) की सुविधा देने का प्रावधान है, परंतु उक्त प्रावधान के बावजूद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् अपने कर्मियों को उपदान (ग्रेच्युटी) नहीं दे रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रावधान के तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के कर्मियों को उपदान (ग्रेच्युटी) का लाभ प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*59. श्रीमती समता देवी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*60. श्री कुमार सर्वजीत --क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हेतु सरकार के उप-सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पत्रांक 989 दिनांक, 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया को स्टेडियम निर्माण की आवश्यक कार्रवाई कर संसूचित करने के लिये पत्र लिया गया था लेकिन उक्त पत्र के आलोक में बोधगया प्रखंड में स्टेडियम निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भागीदारी सुनिश्चित करना

*61. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में नये प्रावधान के आलोक में विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष स्थनीय विधायक नहीं होते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय के आंतरिक विकास के लिये विकास कोष और विभागीय राशि को विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा समुचित नियंत्रण नहीं होने के कारण सही ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पुनः विद्यालय शिक्षा समिति में स्थानीय विधायक की भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध ताड़ीखाना को बंद कराना

*62. श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी--क्या मंत्री, मध निषेध, उत्पाद, एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मालीनगर के टोले ठहरा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का कब्रिस्तान एवं ईदगाह से सटे उत्तर की तरफ सड़क की जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से अप्रैल, 2019 से ताड़ीखाना खोल दिया गया है, जिससे वहाँ गंदगी फैली रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अवैध ताड़ीखाना को बंद कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फाजिल की पढ़ाई

*63. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के किसी भी मदरसा में फाजिल की पढ़ाई नहीं होने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जिला के मदरसा में फाजिल की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला अररिया में फाजिल स्तर का कोई भी अनुदानित मदरसा संचालित नहीं है परन्तु प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सभी जिलों में आधारभूत संरचना रखने वाले मदरसों को आलिम अथवा फाजिल स्तर तक उत्क्रमित करने की कार्रवाई की जा रही है।

बस का परिचालन

*64. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कटिहार नगर स्थित उदामा रक्खा में निर्मित बस स्टैण्ड 5 वर्षों पूर्व बनकर तैयार है परंतु उक्त निर्मित बस स्टैंड से बसों एवं वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन नहीं कर मनीहारी मोड़ से किया जा रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त नव निर्मित बस स्टैण्ड से बसों एवं वाणिज्यिक वाहनों के परिचालन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*65. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना विश्वविद्यालय, तिलकामाँझी, भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय सहित राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी की बैठक विगत दो वर्षों से नहीं होने के कारण शोध के लिये सिनॉप्सिस समर्पित कर चुके विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस शिथिलता की जाँच कराने तथा सभी विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी की बैठक कराने की कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार कुछेक विश्वविद्यालय यथा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी की बैठक आहूत की गयी है। बावजूद इसके छात्रहित में विभागीय पत्रांक 1345, दिनांक 25 जून, 2019 द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को अविलम्ब डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी की बैठक आहूत करने हेतु निदेशित किया गया है ।

नियुक्ति की जाँच कराना

*66. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की बैठक बिना आहूत किये अवैध रूप से 23 नियुक्ति की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मदरसा बोर्ड में की गयी नियुक्ति की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*67. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत नावकोठी प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है जहाँ खेलों का आयोजन सरलापूर्वक किया जा सके ;

(2) क्या यह बात सही है कि ए०पी०एस० हाई स्कूल, नावकोठी का खेल मैदान स्टेडियम निर्माण की सभी आर्हताएँ पूरी करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देना

*68. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार मदरसा एवं संस्कृत शिक्षकों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन प्रारम्भ करना

*69. श्री अब्दुस सुबहान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी अनुमंडल में अनुमंडलीय डिग्री महाविद्यालय भवन का निर्माण मई, 2017 में पूरा कर लिया गया है जहाँ के लिये कुल 1 प्रधानाचार्य, 50 सहायक प्रधानाध्यापक तथा 13 शिक्षकोतर का पद वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किय गये हैं लेकिन राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन नहीं होने के कारण उक्त डिग्री कॉलेज में उक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गई, जिसके कारण पठन-पाठन प्रारम्भ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करते हुये उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई कर पठन-पाठन प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*70. श्री विरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड स्थित उच्च विद्यालय, नबीनगर नाउर, तथा उच्च विद्यालय, नबीनगर रोड का भवन नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन बाधित होता है, यदि हाँ तो, सरकार कबतक उक्त दोनों विद्यालयों के भवन का निर्माण कराने का विचर रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*71. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड के पंचायत कुरमामां में ग्राम-कुरमामां टोला, बहेराडीह में स्थित मध्य विद्यालय का भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मध्य विद्यालय पुराना सामुदायिक भवन में चल रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक डोभी प्रखण्ड के पंचायत कुरमामां में ग्राम-कुरमामां टोला, बहेराडीह में मध्य विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा का सरकारीकरण

*72. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के करगहर प्रखंड अंतर्गत बकसड़ा पंचायत के बकसड़ा ग्राम के अल्पसंख्यक समाज के बच्चे निजी मदरसा में पठन-पाठन करते हैं, जिसके कारण वे सरकारी सुविधा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मदरसा का सरकारीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*73. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 60 वर्ष से ऊपर सभी वंचितों को 1 अप्रैल, 2019 से पेंशन देने की योजना है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में दिया जाना है जबकि लाभुकों का अभीतक बैंक में खाता भी नहीं खोला जा सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त योजना के लाभुकों को बैंक में खाता खोलवाकर भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिन लाभुकों का बैंक खाता एवं आधार कार्ड उपलब्ध है उनको इस योजना से लाभान्वित किया जाता है । अपीतक 3,41,021 (तीन लाख एकतालिस हजार इक्कीस) आवेदकों द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया है एवं दिनांक 11 जून, 2019 तक प्राप्त आवेदन में जिनका खाता एवं आधार संख्या सही पाया गया, को भुगतान भी कर दिया गया है।

विभाग के द्वारा जून माह में पंचायतवार रोस्टर के अनुसार प्रखंडवार शिविर आयोजित कर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है । शिविर में खाता खोलने की भी व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवा सकते हैं ।

(3) कंडिका-(2) में स्थिति स्वत: स्पष्ट है ।

छात्रावास बनाना

*74. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, अनुसुचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्राओं को आवासीय असुविधा रहने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्राओं के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय में छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करना

*75. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड में अररिया महाविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय है;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया महाविद्यालय, अररिया में वर्ष 1990 से 1993 तक स्नातकोत्तर की पढ़ाई हुई थी, परन्तु 1993 के बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई बंद होने के कारण यहाँ के छात्रों को स्नातकोत्तर की पढ़ाई से वंचित होना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अररिया जिला में अंगीभूत अररिया महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियाँ विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च, 2018 में हुई है । अररिया कॉलेज, अररिया के प्रधानाचार्य के प्रतिवेदनानुसार ''कुलसचिव, बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के पत्रांक-2388/97, दिनांक 16 मई, 1992 के द्वारा अररिया महाविद्यालय, अररिया में स्नातकोत्तर इतिहास एवं समाजशास्त्र की पढ़ाई आरंभ की गई थी, परन्तु 1994 में निगरानी ब्यूरो द्वारा अररिया महाविद्यालय, अररिया में उपलब्ध स्नातकोत्तर विभाग का सभी अभिलेख जब्त कर लिया गया । फलस्वरूप इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई बंद कर दिया गया'' ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 4 (17) के आलोक में पी०जी० की पढ़ाई हेतु विश्वविद्यालय ही सक्षम प्राधिकार है । सम्प्रति इस आशय का प्रस्ताव संबंधित विश्वविद्यालय से राज्य सरकार के समक्ष प्राप्त नहीं है ।

उत्क्रमित करना

*76. श्री विजय शंकर दुबे--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के अन्तर्गत रघुनाथपुर प्रखंड में खुजवां ग्राम में मध्य विद्यालय तथा बालिका आवासीय विद्यालय भवन स्थित है;

(2) क्या यह बात सही है खुजवां एवं आस-पास के छात्राओं को उच्च शिक्षा के पढ़ाई हेतु लगभग पाँच किलोमीटर की दूरी तय कर आदर उच्च विद्यालय जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरका कबतक खजुवां ग्राम में अवस्थित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*77. श्री समीर कुमार महासेठ--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 अप्रील, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "168 कॉलेजों ने 287 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, यू० जी० सी० ने अनुदान रोका, मान्यता रद्द करने की धमकी" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008--2012 के दौरान राज्य के 11 विश्वविद्यालय के 168 कॉलेजों को 287 करोड़ रुपये यू० जी० सी० द्वारा दिये गये;

(2) क्या यह बात सही है कि 2012-13 से ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र की माँग लगातार यू० जी० सी० द्वारा किये जाने के बावजूद राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र मात्र 100 करोड़ रुपये का ही दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने के कारण राज्य के सभी 11 विश्वविद्यालय 2012-13 के बाद प्राप्त होने वाली विकास मद की अनुदान राशि से वंचित हो गये;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सभी विश्वविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र यू० जी० सी० को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर का जीर्णोद्धार

*78. श्री अभय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोंचडीह एवं फतेहपुर ग्राम में अतिप्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर है;

(2) क्या यह बात सही है कि उचित देख-भाल के अभाव में उक्त ऐतिहासिक मंदिर जीर्ण-शीर्ण हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खंड (1) में वर्णित ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय का निर्माण

*79. श्री राजू तिवारी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010 में निर्णय लिया गया है कि प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय का निर्माण किया जायेगा;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पहाड़पुर प्रखंड के परसौनी एवं पश्चिमी सरेया पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक खंड (2) में अंकित पंचायतों में उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*80. श्रीमती कुन्ती देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के अन्तर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम-हुसैना बिगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण वहाँ के बच्चे पठन-पाठन से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय मेला घोषित करना

*81. श्री हेम नारायण साह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत महराजगंज में स्थित ऐतिहासिक मौनिया बाबा का मंदिर स्थापित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर में सालोभर श्रद्धालुओं का ताता लगा रहता है और वहाँ पर भव्य मेला भी लगता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मौनिया बाबा मेले को राजकीय मेला घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि वितरित करना

*82. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ विगत पाँच वर्षों से नहीं मिल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि राशि का आवंटन विभाग द्वारा नहीं होने से पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड में 2015 से अबतक 2,500 आवेदन लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक लाभुकों को राशि वितरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई शुरू करना

*83. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के महाविद्यालयों में एक जी० डी० कॉलेज के अतिरिक्त किसी भी अन्य महाविद्यालयों में पी० जी० की पढ़ाई नहीं होती है जिसके कारण यहाँ के छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जिले के महाविद्यालयों में पी० जी० की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 4(17) के आलोक में पी० जी० की पढ़ाई हेतु विश्वविद्यालय ही सक्षम प्राधिकार है ।

इस संदर्भ में राज्य सरकार के समक्ष संबंधित विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं है ।

महिला डिग्री कॉलेज खोलना

*84. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के 28 पंचायतों की घनी आबादी के बीच एक भी महिला डिग्री महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में महिला डिग्री कॉलेज (महाविद्यालय) खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*85. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड गोरेयाकोठी के पंचायत कर्णपुरा के नवका टोला एवं सघरी पंचायत के जलपुरवा, यादव टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने से बच्चों को पठन-पाठन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*86. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड-कुचायकोट, पंचायत-सोनउला, गोखुल के उच्च विद्यालय के परिसर में इलाके का सबसे बड़ा खेल मैदान अवस्थित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के परिसर स्थित खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*87. श्री रमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड नवतन अन्तर्गत दोमादर उच्च विद्यालय, नारायणपुर का भवन जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*88. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले में नगर निगम क्षेत्र बी0पी0 उच्च विद्यालय के पुराने छात्रावास जिसमें वर्तमान में जिला शिक्षा का कार्यालय संचालित होता है, जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस छात्रावास के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*89. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड के पंचायत अकौना के ग्राम-बनकट एवं पंचायत आमस के ग्राम-धर्मपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण वहाँ के बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित गाँवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्गकक्ष का निर्माण

*90. श्री सत्यदेव सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कुर्था विधान सभा क्षेत्र जिला अरवल के बंशी प्रखंडान्तर्गत स्थित +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय, बंशी, कल्याणपुर में दो ही कमरे रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में परेशानियों को सामना करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या लगभग 600 है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं के अनुपात में कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*91. श्री आलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राज्यस्तरीय मुख्यालय के पद सहायक कार्यक्रम समन्वयक (ए0पी0सी0) के पद पर कुल चार कर्मी मुख्यालय में पदस्थापित थे;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में इनमें से दो कर्मियों को नियम के विरुद्ध जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी0पी0एम0) बनाकर जिला में पदस्थापित किया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि पत्रांक म0भो0/को0 323, दिनांक 14 फरवरी, 2019 द्वारा एक सहायक कार्यक्रम समन्वयक को उनके मूल पद पर लाया गया है, जबकि इनमें बचे हुए एक सहायक कार्यक्रम समन्वयक (ए0पी0सी0) को अभीतक मुख्यालय के बाहर जिला में ही रखा गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सहायक कार्यक्रम समन्वयक (ए0पी0सी0) को पुनः मुख्यालय में पदस्थापित करने तथा तत्संबंधी कृत्य के लिए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संविदा कर्मियों को सुविधा देना

*92. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशंसा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3/एम-19/2015 सा०प्र०-6161, दिनांक 24 अप्रील, 2015 द्वारा किया गया, जिसने 7 अगस्त, 2018 को अपनी अनुशंसा प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते हुये सरकार द्वारा सोसाईटी फॉर अल्ट्रापुअर एण्ड सोशल बेलफेयर (सक्षम) के संविदा कर्मियों की सेवा, उनकी सेवानिवृति की सामान्य आयु तक विस्तार करने एवं अन्य सुविधा देने का निर्णय 17 सितम्बर, 2018 को लिया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय को समाज कल्याण विभाग द्वारा अभीतक लागू नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सोसाईटी फॉर अल्ट्रापुअर एण्ड सोशल वेलफेयर के संविदा कर्मियों के संबंध में लिये गये निर्णयों को लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*93. श्रीमती बेबी कुमारी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मुजफ्फरपुर प्रखंड मुशहरी ग्राम पंचायत मणिका हरिकेश में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मणिका हरिकेश डेरा टोला का भवन वर्ष 2017 की बाढ़ में ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण विद्यालय का पठन-पाठन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरे का निर्माण

*94. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा का अंगीभूत इकाई अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर खगड़िया की स्थापना 28 जून, 1946 में हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महाविद्यालय का संचालन रहीमपुर उतरी पंचायत के कुम्हरचक्की गाँव में मात्र चार कमरों में किया जा रहा है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त महाविद्यालय के लिये अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) विश्वविद्यालय के प्रतिवेदनानुसार उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(3)वस्तुस्थिति यह है कि इस महाविद्यालय में कमरों की संख्या 06 है । विश्वविद्यालय द्वारा इस महाविद्यालय के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*95. श्री सुदामा प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के तरारी विधान सभा के सहार प्रखंड में प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में 600 छात्राएँ अध्ययनरत है, जबकि मात्र एक शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*96. श्रीमती कुंती देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के मोहरा प्रखंड में ग्राम-नीमा एवं नुनचटा हरिजन टोना में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त ग्राम के बच्चे पठन-पाठन से वंचित रह रहे है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नये कमरों का निर्माण

*97. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड में स्थित +2 एल०एम०एच० हाई स्कूल का 8 कमरा जर्जर है, जिसके कारण मात्र 3 (तीन) कमरों में ही बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जर्जर कमरों के स्थान पर नये कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*98. श्री विजय शंकर दुबे--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत जलालपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय, अनवल के प्रांगण में एक खेल मैदान है, जिसमें खेल से जुड़ी गतिविधियाँ सालों भर चलती रहती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाम जोड़ना

*99. श्री अवधेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के परैया प्रखंड के ग्राम-कपसिया में ललन स्मारक मध्य विद्यालय वर्ष 1971 से स्वीकृत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1992 में विद्यालय के नाम से ललन स्मारक नाम हटा दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विद्यालय के नाम से ललन स्मारक नाम हटाने की जाँचोपरान्त जिलास्तरीय समिति द्वारा नाम जोड़ने की अनुशंसा निदेशक, शिक्षा विभाग को किया जा चुका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खंड (1) में वर्णित विद्यालय में ललन स्मारक नाम जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*100. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के बेसिल, उगहनी मुसहरी टोला एवं शिवसागर प्रखंड के निंव में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण गाँव के छोटे-छोटे बच्चों को 4 से 5 किलो मीटर की दूरी तय कर दूसरे गाँव में पठन-पाठन के लिये जाना पड़ता है जिससे 40 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त गाँवों में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय खोलना

*101. श्रीमती समता देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड में महिला महाविद्यालय नहीं रहने के कारण वहाँ की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 50 किलो मीटर दूर शेरघाटी अनुमंडल आना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में कबतक महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

10+2 की पढ़ाई शुरू कराना

*102. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक 10+2 विद्यालय विहीन पंचायतों में एक मध्य विद्यालय को 10+2 विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा छः वर्ष पूर्व लिये जाने के बावजूद अभीतक दरभंगा सहित राज्य के अन्य जिलों के पंचायतों में 10+2 विद्यालय नहीं होने के कारण छात्रों को आगे की पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक 10+2 विहीन पंचायतों में 10+2 की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*103. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर, खजौली एवं बासोपट्टी प्रखंडों में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों के नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*104. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 13 जून, 2019 को प्रकाशित समाचार-पत्र शीर्षक ''समाज कल्याण विभाग में 31 करोड़ रुपये का स्मार्ट फोन खरीद में घोटाला हुआ'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अक्टूबर, 2018 में विभाग द्वारा 31 करोड़ रुपये में 33 हजार 914 स्मार्ट फोन की खरीद की गयी थी, जिसमें प्रति फोन 9,153 रुपये व्यय हुआ था, जबकि स्थानीय बाजार में उस समय फोन की कीमत 7,000 रुपये थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थानीय बाजार से प्रति फोन 2,153 रुपये का अधिक भुगतान के कारण सरकार के खजाने से कुल 6 करोड़ 78 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 6 करोड़ 78 लाख रुपये अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एवं अधिक भुगतान के लिये दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*105. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के नरवारा गाँव में गोकुल जगत विद्यालय के प्रांगण में वर्ष 2017-18 में स्टेडियम निर्माण हेतु 69 लाख की स्वीकृति के बावजूद भी स्टेडियम निर्माण का कार्य आरंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*106. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बखरी प्रखंड के +2 विद्यालय, शकरपुरा, कालपीठ में स्टेडियम निर्माण संबंधी भूमि सहित सभी अर्हताएँ मौजूद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है,. नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*107. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखण्ड के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 88 पर 1 अगस्त, 2018 से बच्चों को मिलने वाला पोषाहार का वितरण बन्द है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसी कारणवश आँगनबाड़ी केन्द्र बंद है, तो उक्त पोषक क्षेत्र के बच्चे को बगल के केन्द्र से जोड़कर पोषाहार का वितरण कराना अनिवार्य है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त केन्द्र संख्या 88 पर पोषाहार वितरण चालू कराने एवं पोषाहार वितरण बन्द होने के दोषी पदाधिकारी को चिह्नित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवर निबंधक का पदस्थापन

*108. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखंड स्थित अवर निबंधन कार्यालय में अवर निबंधक का पद विगत दो वर्षों से रिक्त रहने के कारण आम जनता को निबंधन कार्यों में भारी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अवर निबंधन कार्यालय में पूर्णकालिक अवर निबंधक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*109. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद विगत तीन वर्षों से रिक्त है, जिसके कारण शैक्षणिक एवं निरीक्षण कार्य में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधेपुर प्रखंड में पूर्णकालिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*110. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड के ठेंगहा गाँव एवं जयनगर प्रखण्ड के बरही गाँव में स्थित मैदान में स्टेडियम का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण बच्चों को खेलने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँवों के मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिवहन भत्ता बहाल करना

*111. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा परियोजना परिषद् अपने स्थापना काल से ही राज्य में पदस्थापित सभी परिषद् कर्मियों को परिवहन भत्ता (Conveyance Allowance) की सुविधा प्रत्येक माह देती रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा वर्ष 2018 से गैर नगर निगम क्षेत्र में पदस्थापित कर्मियों को परिवहन भत्ता से वंचित कर दिया है, जिससे गैर नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को आर्थिक क्षति उठाना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्व की भाँति राज्य में पदस्थापित उक्त कर्मियों को परिवहन भत्ता की सुविधा पुनः बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*112. श्री अशोक कुमार सिंह (224)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखण्ड के पंचायत नीमा-आंजन के ग्राम-महुराव में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का लाभ दिलाना एवं दोषी पर कार्रवाई

*113. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 जून, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''अबतक 17 हजार कन्याओं को ही मिल पायी, कन्या उत्थान की राशि'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 25 अप्रैल, 2018 के बाद स्नातक पास प्रदेश के सभी छात्राओं को 25 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फरवरी, 2019 तक 62 हजार डाले गये आवेदनों में से 53 हजार सही आवेदनों में से मात्र 17 हजार छात्राओं को ही राशि उपलब्ध करायी गयी है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त योजना के लिये 3 हजार करोड़ की राशि आवंटित की गयी है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक शेष छात्राओं को कन्या उत्थान की राशि का लाभ देने एवं विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*114. श्री अभय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत टिकारी नगर पंचायत के वार्ड नं० 5 में महादलित बच्चों की आबादी लगभग 300 है, परन्तु उनके लिये प्रारंभिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित स्थान पर महादलित बच्चों के लिये प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय का निर्माण कराना

*115. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड में स्थित बलिया बलौन में सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार बलिया बलौन में सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रेचे की व्यवस्था

*116. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मिनिस्टरी ऑफ वूमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को नेशनल मिनिमम गाईड लाईन फॉर सीटिंग उप एण्ड रनिंग क्रेचे अन्डर मेटरनिटी बेनीफिट ऐक्ट, 2017 सभी राज्य के मुख्य सचिवों को जारी करते हुये सभी कार्यालय जिसमें कर्मियों की संख्या 50 या उससे अधिक है, वहाँ क्रेचे की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देश के आलोक में राज्य के किसी भी कार्यालय में क्रेचे की व्यवस्था नहीं की गयी है जिसके कारण महिला कर्मी के शिशुओं की देख-भाल सही तरीके से नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त निर्देश के अनुरूप राज्य के सभी कार्यालयों में क्रेचे की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान भुगतान करना

*117. श्रीमती रंजु गीता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों को मृत्युपरान्त बिहार सरकार, शिक्षा विभाग से मिलनेवाली 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि वर्ष 2016 से लंबित है, जबकि अन्य जिलों में अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले में लगभग 50 से अधिक नियोजित शिक्षक के आश्रितों को भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके आश्रित आर्थिक तंगी से जुझ रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नियोजित शिक्षक के आश्रितों को 4 लाख रु० अनुग्रह अनुदान भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किराये का भुगतान

*118. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ नगर परिषद् के वार्ड नम्बर 22 के मुसहरी के लिये आवंटित आँगनबाड़ी केन्द्र जिसका कोड संख्या 155 है, जो दिसम्बर, 2002 से उक्त नगर परिषद् के वार्ड संख्या 21 में मकान संख्या 157, जिसका प्लॉट 2529-2531 और खाता नं० 1185 है, में संचालित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक केन्द्र के किराये का भुगतान एवं उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र को आवंटित स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1147, दिनांक 24 जून, 2019 के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि फुलवारीशरीफ नगर परिषद् के आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या 155 के पोषक क्षेत्र में वार्ड 22 एवं वार्ड सं० 21 दोनों के लाभुक आते हैं एवं उक्त केन्द्र वर्तमान में वार्ड सं० 22 में संचालित है ।

दिसम्बर, 2002 से वार्ड सं० 21, मकान संख्या 157, प्लॉट 2529-2531 और खाता नं० 1185 में आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 155 के संचालित का प्रश्न है वह निराधार है। आँगनबाड़ी केन्द्र सं० 155 अपने वार्ड अन्तर्गत आवंटित स्थान पर ही संचालित है ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 02 जुलाई, 2019 (ई०)।

बि०स०मु० - 22 (एल०ए०), - 2019-20 डी०टी०पी० -550